अंचल अधिकारी का न्यायालय, सुन्दरपहाड़ी।

आदेश फलक

तिथि	पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश एवं हस्ताक्षर	मंतव्य
14-7-2023		

अभिलेख उपस्थापित। उक्त राजस्व विविद वाद सं०- 01/2023-24 सोमी मरण्डी बनाम् जेठा सोरेन वगैरह को अपना-अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। दोनों पक्ष उपस्थित हुए। राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के द्वारा समर्पित किया गया जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन किया जिसमें पाया गया कि मौजा- गोराडीह थाना नं०- 02 जमाबंदी नं०- 29 जमाबंदी रैयत धानो मराण्डी वल्द ठकुरा मराण्डी कौम- संथाल साकिन- देह गत सर्वे खतियान में कहकर दर्ज है। जमाबंदी रैयत धानो मराण्डी को एक मात्र पुत्र जेठा मराण्डी था। जेठा मराण्डी को दो पुत्री सोमी मराण्डी एवं सोना मराण्डी (आवेदिका) है। पहली पुत्री सोमी मराण्डी की मृत्यु हो चुकी है, उनको दो पुत्र जेठा सोरेन एवं छोटा सोरेन है। इनके द्वारा आवेदिका सोना मराण्डी को अपने हिस्से की जमीन पर जोत आबाद करने नहीं दिया जा रहा है।

राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि आवेदिका सोना मराण्डी का उक्त प्रश्नगत भूमि पर बराबर-बराबर का वैध अधिकार है। वैध दखल कब्जा दिलाने हेतु थाना प्रभारी, सुन्दरपहाड़ी को निदेशित करें। वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित

14/07/23
अंचल अधिकारी,

14/07/23
अंचल अधिकारी,
सुन्दरपहाड़ी।

Digitally signed by RAVI KISHORE RAM
Date: 2023.07.21 16:54:19 +05:30
Location: 192.168.43.36

Scanned with CamScanner